

अपील अन्तर्गत धारा-72 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 विरुद्ध आदेश उप पंजीयक जहाजपुर आदेश दिनांक 22.06.2018 प्रकरण संख्या 25/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.07.2018	<p>वकील अपीलार्थी उपस्थित । प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थागण को सूचना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत करने दस्तावेज एवं जवाब दिनांक 21.08.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर भीलवाड़ा</p>	
2/8/2018	<p>अपीलार्थी अधिवक्ता के पत्रावली पर पत्रावली सींगे से आज तलब की गई।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 72 के तहत उप पंजीयक जहाजपुर के आदेश दि. 22/6/2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई परन्तु शासन तंत्र, वित्त विभाग (का अनुभाग) से जारी अधिसूचना दि. 12 फरवरी, 2018 से उप पंजीयक के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार उप महा निरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक भीलवाड़ा वृत्त को अधिकृत किया गया है।</p> <p>अतः अधिसूचना दि. 12/2/2018 की पालना में प्रस्तुत अधिसूचना मूल ही सुनवाई हेतु उप महा निरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक भीलवाड़ा वृत्त को स्थानान्तरित की जावे।</p> <p>पत्रावली अक्टूबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर भीलवाड़ा</p>	